भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5724
04 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना

5724. श्री गुरजीत सिंह औजला:

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विगत दस वर्षों के दौरान भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत व्यय की गई निधि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक पैनलबद्ध अस्पताल के लिए आबंटित निधि, उपचारित रोगों तथा लाभान्वित मरीजों की संख्या का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना का दुरुपयोग करने के दोषी पाए गए अस्पतालों की संख्या कितनी है और सरकार द्वारा इन अस्पतालों के विरुद्ध क्या विशिष्ट कार्रवाई की गई है;

(घ) इस दुरुपयोग के कारण कितने अस्पतालों को पैनल से बाहर कर दिया गया है अथवा उनके ईसीएचएस अनुमोदन को रद्द कर दिया गया है; और

(ङ) विगत में उनके दुरुपयोग के बावजूद कितने अस्पतालों को पैनल में पुन: शामिल किया गया है और ईसीएचएस के अंतर्गत दोबारा संचालन की अनुमति प्रदान करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क): भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के अंतर्गत सरकार द्वारा व्यय की गई निधि का राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। तथापि, पिछले 10 वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में स्थापित ईसीएचएस क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा **संलग्नक -I** में दिया गया है।

(ख): ईसीएचएस के अंतर्गत कुल 2697 स्वास्थ्य सेवा संगठन (अस्पताल, नेत्र देखभाल केंद्र, दंत चिकित्सा क्लिनिक, प्रयोगशालाएं इत्यादि) पैनलबद्ध हैं। स्वास्थ्य सेवा संगठन विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार के लिए पैनलबद्ध हैं। यह सूचना सार्वजनिक डोमेन में है और इसे www.echs.gov.in वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इन अस्पतालों को ईसीएचएस के अंतर्गत निधि आवंटित नहीं की जाती है। क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से अस्पतालों को उनके द्वारा किए गए दावों के सापेक्ष भुगतान किया जाता है। पिछले 4 वर्षों के दौरान किए गए दावों और संवितरित राशि का ब्यौरा **संलग्नक -II** में दिया गया है।

(ग): पिछले दो वर्षों (2023 और 2024) के दौरान ईसीएचएस का दुरुपयोग करने के दोषी पाए गए अस्पतालों और सरकार द्वारा उन अस्पतालों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा **संलग्नक -III** में दिया गया है।

(घ): पिछले दो वर्षों (2023 और 2024) के दौरान इस दुरुपयोग के कारण पांच अस्पतालों को पैनल से बाहर कर दिया गया है या उनका ईसीएचएस अनुमोदन रद्द कर दिया गया है।

(ङ): पिछले दो वर्षों (2023 और 2024) के दौरान स्वामित्व परिवर्तन के मानदंड के कारण एक अस्पताल द्वारा विगत में उसके दुरुपयोग के बावजूद उसे ईसीएचएस के अंतर्गत फिर से पैनलबद्ध किया गया है।

*****

“भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना” के संबंध में लोक सभा में दिनांक 04.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न सं. 5724 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक -I

पिछले दस वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में स्थापित ईसीएचएस क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा चिकित्सीय उपचार से संबंधित व्यय (एमटीआरई) के तहत किए गए व्यय का ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं	ईसीएचएस क्षेत्रीय केंद्र	कवर किए गए राज्य	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1.	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश	3.8	8.7	13.4	13.5	26.3	17.6	19.1	33.5	41.4	44.1
2.	गुवाहाटी	पूर्वोत्तर राज्य	2.4	6.2	10.4	7.5	11.8	9.5	10.2	15	20	30.8
3.	पटना	बिहार	5.4	12.5	18.9	18.9	35.1	30.1	33.6	59.3	99.6	114.8
4.	चांदीमंदिर	चंडीगढ़	205.1	276.7	384.8	244.4	489.6	393.2	396.5	586.5	823.8	955.9
5.	दिल्ली	दिल्ली एनसीआर	215.3	289.9	332.9	246.1	434.6	600.2	560.8	842.7	1198.8	1159.1
6.	दिल्ली 2	दिल्ली एनसीआर	164.4	199.6	238.9	159	258.3	244.2	216.7	462.4	597.4	840.9
7.	अहमदाबाद	गुजरात ; राजस्थान	7.3	20.8	35.5	28	59.8	47.2	60.6	71.2	110.9	119
8.	अंबाला	हरियाणा	35.9	50.6	126.2	86.2	195.9	236	249.3	295.4	448.5	533.3
9.	हिसार	हरियाणा ; राजस्थान	25.9	34.9	82.9	97.7	123.3	166.9	311.4	347.5	614.3	644.2
10.	योल	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	4.9	47.4	81.8	95.5
11.	जम्मू	जम्मू एवं कश्मीर ; लद्दाख	20.9	43.5	107.4	83.9	121.1	94.5	100.1	112.4	170.4	151
12.	रांची	झारखंड	4.9	8.3	21.3	13.3	39.4	30.2	17.8	19.8	27.9	30.2
13.	बंगलुरू	कर्नाटक	19.7	46.7	58.4	35.9	103.8	87.1	116.5	154.5	180.1	163.1
14.	कोच्चि	केरल	81	93.1	106.4	103.8	168.9	210.2	178.4	149.7	314.9	300.8
15.	त्रिवेन्द्रम	केरल	81.7	91.1	102.4	66.9	152.1	105.5	139.7	187	278.1	296.7
16.	जबलपुर	मध्यप्रदेश	4.9	9.7	24.5	20.1	50.4	29.6	45.9	53.2	90.8	75.6
17.	मुम्बई	महाराष्ट्र	1.4	5.1	7.9	8.4	27.3	20.7	23.4	32.4	60.1	70.4
18.	नागपुर	महाराष्ट्र	2.9	5.7	6.4	4	10.8	10.1	15.7	19.9	31.4	46.4
19.	पुणे	महाराष्ट्र	29.2	39.4	71.6	40.5	101.7	85.7	126.3	135.7	198.6	256.4
20.	भुवनेश्वर	ओड़िशा	0	0	0	0	0	0	15.7	25.1	41.8	38.2
21.	जालंधर	पंजाब	266.9	328.8	442.8	304.4	621.6	541.8	307.5	720.1	966.3	1053.8
22.	जयपुर	राजस्थान	77.9	60.4	148.1	117.8	218.4	182.2	216	324.9	621.9	864.7
23.	सिकंदराबाद	तेलंगाना	55.9	66.9	74.4	45.8	105.2	72	67.5	86	173	159.6

24.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	7.9	22.3	26.9	19.9	48.8	36.8	49.9	53.9	74.6	79.7
25.	चेन्नई	तमिलनाडु	18.4	32.1	53.4	51.2	60.9	24.6	33.7	63.9	66.3	88.2
26.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	5.4	23.4	31.5	22.2	52.4	33.4	42.1	78.9	141.5	155
27.	बरेली	उत्तर प्रदेश	20	43	91.9	177.5	198.8	149.7	143.3	202.2	286.9	332
28.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	22.4	30.4	42.9	36.6	34.4	89.8	60.8	82.1	162.8	172.9
29.	देहरादून	उत्तराखंड	29.4	40.4	60.9	58.2	70.7	52.1	62.5	94.9	152.4	175.1
30.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	27.9	28.7	51.9	41.1	94	35	34.5	67.8	139	152.8
		कुल	1444.2	1918.9	2774.9	2152.8	3915.4	3635.9	3660.4	5425.3	8215.3	9200.2

“भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना” के संबंध में लोक सभा में दिनांक 04.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न सं. 5724 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक -II

पिछले 4 वर्षों के दौरान किए गए दावे और संवितरित राशि का ब्यौरा

	भर्ती मरीज (आईपी)			बाह्य मरीज (ओपीडी)		
वित्तीय वर्ष	वित्त वर्ष में भर्ती मरीजों (आईपी) द्वारा किए गए दावों के निपटान की कुल संख्या	भर्ती मरीजों (आईपी) की अस्पताल दावा राशि (करोड़ में)	अनुमोदित राशि (करोड़ में)	वित्त वर्ष में बाह्य मरीजों (ओपी) द्वारा किए गए दावों के निपटान की कुल संख्या	बाह्य मरीजों (ओपी) की अस्पताल दावा राशि (करोड़ में)	अनुमोदित राशि (करोड़ में)
2021-2022	5,74,770	3663.73	3208.86	18,53,229	500.07	480.86
2022-2023	7,79,310	5369.76	4842.08	27,23,115	669.44	639.79
2023-2024	10,70,102	8037.68	7303.43	42,60,600	1052.89	999.37
2024-2025	9,95,808	9289.31	8302.37	42,73,954	1058.05	1002.83

*****

<u>"भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 04.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न सं. 5724 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक -III</u>

पिछले दो वर्षों (2023 और 2024) के दौरान ईसीएचएस का दुरुपयोग करने के दोषी पाए गए अस्पतालों और सरकार द्वारा उन अस्पतालों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा

क्र.सं.	विवरण	मामलों की संख्या
1.	दोषी पाए गए अस्पतालों की संख्या	33
2.	जिन पर 'स्टॉप रेफरल' लागू किया गया	29
3.	वसूली	10
4.	निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) की आंशिक/पूर्ण जब्ती	18

*****